



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 30

11 भाद्र 1942 (श०)
पटना, बुधवार, —
2 सितम्बर 2020 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	भाग-9-विज्ञापन
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
भाग-4-बिहार अधिनियम	पुरक
	पुरक-क

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचनाएं

14 जुलाई 2020

सं० ई2-2-09/2016-15—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना-सह-पठित ज्ञापांक-18/लो०शि०नि०-14-04/2016-7691 दिनांक 30.05.2016 के आलोक में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 (बिहार अधिनियम 19, 2015) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोजनार्थ निर्वाचन विभाग, पटना में श्री प्रवीण कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना को विभागीय अधिसूचना संख्या-34 दिनांक-19.04.2019-सह-पठित ज्ञापांक-3514 दिनांक-19.04.2019 द्वारा प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के रूप में अधिसूचित थे। इनके स्थानांतरण के फलस्वरूप इस विभाग में संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव, निर्वाचन विभाग-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकार का पद रिक्त था। अब उक्त प्रयोजनार्थ श्री मिथिलेश कुमार साहु, संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना को प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गोपाल मीणा, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

24 अगस्त 2020

सं० ई2-2-44/2010-17—माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC संख्या-3839/2020 अशोक कुमार बनाम निर्वाचन विभाग एवं अन्य के संबंध में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ का पत्रांक 288 दिनांक 13.05.2020 द्वारा लंबित दायित्वों के भुगतान हेतु ₹9,64,394/- रुपये मात्र के आवंटन की अधियाचना की गयी। मामला न्यायादेश के अनुपालन संबंधी होने के फलस्वरूप निर्वाचन विभाग द्वारा CFMS Order No-1577 दिनांक 22.05.2020 द्वारा तत्काल समतुल्य राशि आवंटित की गयी। साथ ही न्यायादेश के अनुपालन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ को तत्संबंधी Reasoned Order पारित करते हुए उसकी प्रति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

2. उप निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्णियाँ का पत्रांक 303 दिनांक 01.06.2020 द्वारा CWJC सं०-3839/2020 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के क्रम में पारित Reasoned Order ज्ञापांक 303 दिनांक 01.06.2020 की प्रति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार को उपलब्ध करायी गयी, जिसके आदेश कंडिका- Tabular Form क्रम संख्या-4 में- “शेष भुगतान हेतु लंबित राशि ₹9,64,394/- रुपये मात्र का आवंटन उपलब्ध नहीं रहने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 288/जि०नि० दिनांक 13.05.2020 द्वारा निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना से आवंटन की मांग की गयी है, जो अप्राप्त है”, का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया गया।

3. न्यायादेश के अनुपालन में जिला निर्वाचन कार्यालय, पूर्णियाँ द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में विभाग द्वारा ससमय आवंटन उपलब्ध कराने के बावजूद संबंधित Reasoned Order में आवंटन अप्राप्त रहने का उल्लेख किये जाने के कारणों के संबंध में विभागीय पत्रांक 1320 दिनांक 03.06.2020 द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्णियाँ से स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग की गयी, जिसके क्रम में संशोधित Reasoned Order की प्रति ज्ञापांक 308 दिनांक 03.06.2020 द्वारा निर्गत करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्णियाँ का पत्रांक 307 दिनांक 03.06.2020 के साथ संलग्न कर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार को उपलब्ध करायी गयी। साथ ही, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्णियाँ का पत्रांक 412 दिनांक 06.07.2020 द्वारा उक्त त्रुटि के संबंध में उप निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्णियाँ का स्पष्टीकरण प्रतिवेदन संलग्न कर निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित की गयी।

4. श्री अनिरुद्ध प्रसाद यादव, उप निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा उनके पत्रांक 400 दिनांक 06.07.2020 द्वारा स्पष्टीकरण प्रतिवेदन में अंकित किया गया कि “CWJC सं०-3839/2020 अशोक कुमार बनाम निर्वाचन विभाग एवं अन्य से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 22.05.2020 को CFMS के माध्यम से विपत्र कोड सं० 06-2015001080001 अन्तर्गत मो०- ₹9,64,394/- रुपये मात्र का आवंटन उपलब्ध कराया गया। अवलोकनीय है कि भवदीय निदेशानुसार कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु लॉक डाउन अवधि के दौरान राज्य से बाहर से लौटे श्रमिकों हेतु बनाये गये कोरेंटाईन सेन्टर की जांच हेतु दिनांक 15.05.2020 से प्रखंड के०नगर में प्रतिनियुक्ति किया गया था। उक्त कार्य के निमित्त पूर्वाह्न 9:00 बजे मुख्यालय से के०नगर प्रखंड क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न कोरेंटाईन सेन्टर की जांच करने हेतु प्रस्थान तथा देर संध्या तक मुख्यालय वापस लौटना था। इसी क्रम में दैनिक रूप से कार्यालय का डाक एवं CFMS के माध्यम से प्राप्त आवंटन का अवलोकन नहीं कर पाया तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेशानुसार

निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अनुपालन करने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 26.05.2020 को संचिका उपस्थापित कर दी गयी। निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1268 दिनांक 27.05.2020 द्वारा उक्त आवंटन प्राप्त होने की सूचना अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुई।

5. जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पत्रांक 412 दिनांक 06.07.2020 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उप निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा जानबूझकर गलत एवं भ्रामक प्रतिवेदन प्रेषित नहीं की गई।

6. उक्त मामले की समीक्षा के पश्चात् विभाग द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री अनिरुद्ध प्रसाद यादव, उप निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्णियाँ को चेतावनी के साथ स्पष्टीकरण से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

7. उक्त निर्णय के आलोक में श्री अनिरुद्ध प्रसाद यादव, उप निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्णियाँ को चेतावनी संसूचित करते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव।

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

26 अगस्त 2020

सं० 6/मु०-35-11/2019-1511/वा०कर-सिविल अपील संख्या-3307/2015 (बि०लो०सं० आयोग एवं अन्य बनाम बलदेव चौधरी एवं अन्य) में दिनांक 23.10.2019 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में बि०लो०सं० आयोग, बिहार, पटना द्वारा 45वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आयोग के पत्रांक 03 दिनांक 04.05.2020 द्वारा उपलब्ध करायी गयी अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-6828 दिनांक 23.07.2020 के द्वारा श्री बलदेव चौधरी, की नियुक्ति वरीय उपसमाहर्ता के पद पर की गयी है।

2. वर्णित परिपेक्ष्य में श्री बलदेव चौधरी (बिहार वित्त सेवा, तृतीय सीमित बैच) राज्य-कर सहायक आयुक्त, दरभंगा अंचल, दरभंगा को वरीय उपसमाहर्ता के पद पर योगदान देने हेतु बिहार सेवा संहिता के सुसंगत नियमों (यथा नियम 28 सहपठित नियम-67-72) के आलोक में राज्य-कर सहायक आयुक्त के पद पर गहाणाधिकार रखते हुए अधिसूचना निर्गमन की तिथि से विरमित किया जाता है।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव।

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

27 अगस्त 2020

सं० 1स्था०-95/2020-1196/वि०स०।-बिहार विधान सभा सचिवालय (भरती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2018 की धारा-6(क) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन बिहार के राज्यपाल ने सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-7/डी०1-305/96/सा०प्र०7127, दिनांक-17.08.2020 एवं पटना उच्च न्यायालय, पटना की अधिसूचना सं०-86A, दिनांक 18.08.2020 द्वारा श्री राजकुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दरभंगा को सचिव, बिहार विधान सभा के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया है।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
असीम कुमार, उप सचिव।

25 अगस्त 2020

सं० 1स्था०-186/2018-1067/वि०स०।-सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि बिहार विधान सभा सचिवालय में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विभिन्न धाराओं के कार्यान्वयन / अनुपालन हेतु प्रथम अपीलीय प्राधिकार के रूप में श्री भूदेव राय, निदेशक, बिहार विधान सभा, सचिवालय को तत्काल प्रभाव से प्राधिकृत किया जाता है।

एतद् विषयक पूर्व में निर्गत सभा सचिवालय की अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझा जाए।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
विमलेन्दु भूषण कुमार, अवर सचिव।

12 अगस्त 2020

सं० 1स्था०-62/2019-998/वि०स०।-श्री अनिल कुमार जायसवाल, उप सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना द्वारा बिहार विधान सभा के आंतरिक संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता समिति के दिनांक 11.12.2017 से 20.12.2017 तक राज्य के अन्दर स्थल अध्ययन यात्रा में सम्मिलित समिति के माननीय सभापति श्री यदुवंश कुमार यादव, सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा सभा सचिवालय का वाहन उपलब्ध नहीं होने के कारण निजी वाहन का व्यवहार किये जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत यात्रा भत्ता विपत्र, भुगतान के क्रम में राज्य सरकार के स्पष्ट परामर्श को छिपाकर तथ्यों को गलत रूप में प्रस्तुत करने, राज्य सरकार द्वारा परामर्श के आलोक में निर्गत सभा सचिवालय के पत्र संख्या-1नि०-04/2017-7357-7363, दिनांक-22.06.2017 को निरस्त करने संबंधी प्रस्ताव देने एवं सभा सचिवालय द्वारा मील भत्ते के संबंध में दिए गए यथोचित आदेश जारी होने के बावजूद संसदीय समिति के कार्यकलाप को जानबूझकर उलझाने के कारण उनसे सभा सचिवालय के ज्ञापांक-2स्था०-181/2018-325, दिनांक-07.02.2019 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री जायसवाल द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार स्तर पर की गई तथा स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाते हुए आरोपों की गंभीरता के आलोक में बिहार विधान सभा सचिवालय (भरती और सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 के नियम-18 के अधीन बिहार विधान सभा सचिवालय के आदेश ज्ञापांक-2स्था०-181/2018-623, दिनांक 13.03.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही के लिए श्री भूदेव राय, निदेशक, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. श्री जायसवाल पर अवचार या कदाचार के लाक्षणकों का सार निम्नवत है:-

1. राज्य सरकार द्वारा दिए गए स्पष्ट परामर्श को छिपाकर तथ्यों को गलत रूप में प्रस्तुत करना,
2. राज्य सरकार द्वारा दिये गये परामर्श के अलोक में निर्गत सभा सचिवालय के पत्र संख्या-7357-7363, दिनांक 22.06.2017 को निरस्त करने संबंधी प्रस्ताव देना एवं
3. सभा सचिवालय द्वारा मील भत्ते के संबंध में दिए गए यथोचित आदेश जारी होने के बावजूद संसदीय समिति के कार्यकलाप को जानबूझकर उलझाना।

जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री जायसवाल पर लगाये गये तीनों आरोपों में से प्रथम आरोप को छोड़कर शेष दो आरोपों को प्रमाणित पाया गया।

4. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18 के उपनियम(3) के आलोक में जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए श्री जायसवाल से सभा सचिवालय के ज्ञाप संख्या-1स्था०-62/2019-910, दिनांक 13.07.2020 एवं ज्ञाप संख्या-1स्था०-62/2019-941, दिनांक 27.07.2020 द्वारा उक्त के संबंध में अपना लिखित अभ्यावेदन / निवेदन की मांग की गयी। इस आलोक में श्री जायसवाल द्वारा दिनांक 15.07.2020 एवं दिनांक 03.08.2020 को अभ्यावेदन समर्पित किया गया। जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं इस प्रतिवेदन के संदर्भ में श्री जायसवाल से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन की विस्तृत समीक्षा सभा सचिवालय द्वारा की गयी, जो निम्नवत है :-

आरोप 1:- जाँच पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि “सभा सचिवालय द्वारा समिति की राज्य के अन्दर की यात्राओं के लिए वाहन की व्यवस्था नहीं किये जाने की स्थिति में की गयी यात्रा के लिए मा० सदस्यों को यात्रा भत्ता का भुगतान किस प्रकार हो, इसके लिए निवेदन समिति शाखा द्वारा स्पष्टीकरण / मंतव्य के लिए संचिका सं०-1 नि०-04/2017 संसदीय कार्य विभाग भेजा गया। संसदीय कार्य विभाग से इस संबंध में यह परामर्श प्राप्त हुआ है कि इस कार्य के लिए नियम-8 देखा जा सकता है। इस कार्य के अन्तर्गत सारी स्थिति को भी टिप्पणी में संसदीय कार्य विभाग द्वारा उल्लेखित किया गया जिसमें यह वर्णित है कि ऐसी स्थिति में जब नियम-9 के तहत गाड़ी की व्यवस्था सभा सचिवालय नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में मील भत्ता किस प्रकार देय होगा। इस आलोक में बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2006 के नियम-8 देखने का परामर्श संसदीय कार्य विभाग द्वारा दिया गया। संसदीय कार्य विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में सभा सचिवालय द्वारा मील भत्ता दिये जाने से संबंधित सूचना पत्रांक-7357-7363, दिनांक 22.06.2017 द्वारा प्रचारित किया गया। इसमें संसदीय कार्य विभाग द्वारा स्पष्ट परामर्श दिया गया था कि राज्य के अंदर स्थल अध्ययन यात्रा हेतु मा० सभापति एवं अन्य सदस्य को अपनी निजी गाड़ी से राज्य के अंदर स्थल अध्ययन यात्रा हेतु नियम-8 के तहत यात्रा भत्ता / मील भत्ता देय होगा। संसदीय कार्य विभाग के परामर्श को उप सचिव श्री जायसवाल द्वारा छिपाया नहीं गया, बल्कि इसमें निहित तथ्य की अनदेखी की गई। अतः यह आरोप सिद्ध नहीं होता है।”

जाँच पदाधिकारी ने माना है कि श्री जायसवाल ने संसदीय कार्य विभाग के परामर्श में निहित तथ्य की अनदेखी की है। श्री जायसवाल जब संसदीय कार्य विभाग से परामर्श के आलोक में निर्गत पत्र को निरस्त करने का प्रस्ताव दे रहे थे, उस समय निवेदन समिति की सचिका प्राप्त कर उन्होंने परामर्श से अवगत होने का प्रयास नहीं किया। इतना ही नहीं बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा संसदीय कार्य विभाग से परामर्श प्राप्त कर जिस पत्र द्वारा इसे सुलझाने का प्रयास किया गया उस पत्र को ही श्री जायसवाल ने अप्रासंगिक बतलाया है तथा जाँच पदाधिकारी द्वारा पूछताछ के दौरान उन्होंने सारी उलझनों का कारण उस पत्र को ही बतलाया है। इससे स्पष्ट है कि श्री जायसवाल माननीय सदस्यों को मील भत्ता अनुमान्य नहीं होने के बारे में अपने निर्वचन पर कायम रहे हैं और अनुमान्यता के पक्ष में चाहे राज्य सरकार का परामर्श हो अथवा नियमावली में प्रावधान सहित अन्य कोई नियमानुकूल बातें, उसे वे जानबूझकर अनेदखी करते रहे। इस प्रकार उनके विरुद्ध लगाया गया प्रथम आरोप भी सिद्ध होता है।

आरोप 2:- जाँच पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि “माननीय सदस्यों को राज्य के अंदर स्थल अध्ययन यात्रा हेतु यात्रा भत्ता के भुगतान के संबंध में संसदीय कार्य विभाग द्वारा ही नियम की व्याख्या की गई थी और परामर्श दिया गया। परामर्श में स्पष्ट रूप से नियम-9 के तहत वाहन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नियम-8 देखने का जिक्र है। चूंकि परामर्श के पूर्व की सारी स्थिति टिप्पणी में दर्ज है इसलिए इसका गलत निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। इस परामर्श को पत्र द्वारा नियम-8 के तहत मील भत्ता दिये जाने के निष्कर्ष के साथ सभा सचिवालय के पत्रांक-7357-7363, दिनांक 22.06.2017 द्वारा प्रचारित किया गया, जिसका अनुपालन सभा सचिवालय के पदाधिकारी / कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है। दिनांक 05.02.2020 की सुनवाई बैठक में उन्होंने स्वीकार किया है कि परिचारित पत्र पर बिना खोजबीन किये उसका अनुपालन किया जाता है। अतएव उक्त पत्र / परामर्श को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव देना उचित नहीं था। अतः यह आरोप सिद्ध होता है।”

जाँच प्रतिवेदन के संदर्भ में अपने लिखित अभ्यावेदन में श्री जायसवाल ने उपरोक्त आरोप के संबंध में कोई नया तथ्य समर्पित नहीं किया है तथा विभागीय समीक्षा में भी इस आरोप को प्रमाणित पाया गया है।

आरोप 3:- जाँच पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि “निवेदन समिति की सचिका सं०-1निवेदन-4/17 में सभा सचिवालय द्वारा वाहन अनुपलब्धता की स्थिति में बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2006 के नियम-8 देखने का परामर्श है। जिसमें स्पष्ट किया गया है कि माननीय सभापति / सदस्य का राज्य के अंदर स्थल अध्ययन यात्रा हेतु मील भत्ता दिया जा सकता है। संसदीय कार्य विभाग के स्पष्ट परामर्श के आलोक में सभा सचिवालय द्वारा मील भत्ते के संबंध में दिये गये पत्र सं०-7357-7363, दिनांक 22.06.2017 द्वारा यथोचित आदेश जारी होने के बावजूद यात्रा भत्ता का भुगतान श्री जायसवाल द्वारा नहीं किया जाना संसदीय कार्य में अवरोध डालने के सदृश्य है। अतः यह आरोप भी सिद्ध होता है।”

जाँच प्रतिवेदन के संदर्भ में अपने लिखित अभ्यावेदन में श्री जायसवाल ने उपरोक्त आरोप के संबंध में कोई नया तथ्य समर्पित नहीं किया है तथा विभागीय समीक्षा में भी इस आरोप को प्रमाणित पाया गया है।

5. श्री जायसवाल से प्राप्त अभ्यावेदन से स्पष्ट है कि वे माननीय सदस्यों को मील भत्ता अनुमान्य नहीं रहने के बारे में अपने पूर्व के निर्वचन पर अबतक कायम हैं और अनुमान्यता के पक्ष में चाहे राज्य सरकार के परामर्श हो अथवा नियमावली में प्रावधान सहित अन्य कोई नियमानुकूल बातें, उसे वे जानबूझकर गलत सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, जो उनकी हठधर्मिता, अनुशासनहीनता एवं सभा सचिवालय द्वारा निर्गत आदेश के अवज्ञा (Defiance) की मानसिकता का परिचायक है। उनका यह कृत्य गंभीर कदाचार (Misconduct) की श्रेणी में आता है।

6. श्री जायसवाल के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रपत्र-क, जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा जाँच प्रतिवेदन पर प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार स्तर पर की गई तथा सम्यक विचारोपरान्त आरोपों की प्रमाणिकता के आधार पर श्री अनिल कुमार जायसवाल, उप सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय को बिहार विधान सभा सचिवालय (भरती और सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 के नियम 18 के अधीन अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत संचयात्मक प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धियों पर रोक का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
विमलेन्दु भूषण कुमार, अवर सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

6 जुलाई 2020

सं० 6/आ.-51/2017-सा.प्र.-6583—सारण जिले में फैले बालू के अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन के मामले में श्री दीपक आनन्द, भा.प्र.से. (बिहार:2007), तत्कालीन जिला पदाधिकारी, सारण(छपरा) की संलिप्तता, प्रशासनिक विफलता एवं कर्तव्यहीनता के गठित आरोपों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विचारोपरांत विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक संख्या-11619 दिनांक 08.09.2017 निर्गत करते हुए श्री आनन्द के विरुद्ध अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-8 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई थी।

2. इन गठित आरोपों पर श्री आनन्द के दिनांक 25.09.2017 के लिखित बचाव बयान/अभ्यावेदन पर सम्यक् विचारोपरांत बचाव बयान/अभ्यावेदन अस्वीकृत करते हुए श्री आनन्द के विरुद्ध गठित आरोप की जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक-868 दिनांक 17.01.2018 द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था।

3. इस विभागीय कार्यवाही संख्या-08/2018 में संचालन पदाधिकारी- विभागीय जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-488 दिनांक 06.06.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विचार किया गया और अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णय के आलोक में अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-9(2) में निहित प्रावधान के आलोक में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति विभागीय पत्रांक-8952 दिनांक 05.07.2018 द्वारा श्री आनन्द को उपलब्ध कराते हुए लिखित बचाव अभ्यावेदन समर्पित किये जाने का निदेश दिया गया है।

4. उक्त संबंध में श्री दीपक आनन्द के दिनांक 07.12.2018 के बचाव अभ्यावेदन पर सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा श्री आनन्द के बचाव अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय पत्रा संख्या-2748 दिनांक 28.02.2019 द्वारा संघ लोक सेवा आयोग से इस मामले में आवश्यक परामर्श हेतु अनुरोध किया गया।

5. इस मामले में संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.01.2020 का परामर्श उपलब्ध कराया गया। आयोग द्वारा आरोप के इस प्रकरण में श्री आनन्द को पर्यवेक्षी कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने के लिए उत्तरदायी मानते हुए उन्हें 'परिनिंदा' (Censure) का दंड अधिरोपित किये जाने का परामर्श दिया गया। आयोग के इस परामर्श के विचारोपरांत विभागीय पत्रा संख्या-2899 दिनांक 25.02.2020 द्वारा आयोग के परामर्श की प्रति श्री आनन्द को उपलब्ध कराते हुए लिखित बचाव अभ्यावेदन समर्पित किये जाने का निदेश दिया गया।

6. उपर्युक्त के संबंध में श्री दीपक आनन्द के द्वारा समर्पित दिनांक 09.03.2020 के लिखित बचाव अभ्यावेदन पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत इसे अस्वीकृत करते हुए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परामर्शित 'परिनिंदा' (Censure) का दंड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

7. राज्य सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री दीपक आनन्द, भा.प्र.से.(बिहार:2007), तत्कालीन जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) को आरोप के इस मामले में 'परिनिंदा' (Censure) का दंड अधिरोपित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

6 जुलाई 2020

सं० 6/आ.-08/2017-सा.प्र.-6584—दिनांक 14.01.2017 को सबलपुर दियारा में आयोजित पंतगोत्सव के अवसर पर घटित नाव दुर्घटना में 24 लोगों की मौत के मामले में उच्च स्तरीय द्विसदस्यीय जाँच समिति के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री दीपक आनन्द, भा.प्र.से. (बिहार:2007), तत्कालीन जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) के अकर्मण्यता एवं उदासीनता के आरोप के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विचारोपरांत विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक संख्या-3292 दिनांक 20.03.2017 निर्गत करते हुए श्री आनन्द के विरुद्ध अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-8 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई थी।

2. उक्त आरोपों के संबंध में श्री आनन्द के दिनांक 04.04.2017 के लिखित बचाव बयान पर सम्यक् विचारोपरांत बचाव बयान अस्वीकृत करते हुए श्री आनन्द के विरुद्ध गठित आरोपों की जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक-10474 दिनांक 17.08.2017 द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था।

3. विभागीय कार्यवाही संख्या-35/2017 में संचालन पदाधिकारी-सह-अपर सदस्य, राजस्व पर्वद, बिहार, पटना के पत्रांक-479 दिनांक 05.10.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में श्री दीपक आनन्द के विरुद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया।

जाँच प्रतिवेदन पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विचार किया गया और पाया गया कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के पत्रांक-706 दिनांक 01.10.2017 के द्वारा पंतगोत्सव के आयोजन के संबंध में जिला पदाधिकारी, सारण व पटना को सूचित किया गया था कि पंतगोत्सव का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा प्रस्तावित है और इसमें सरकार के कई मंत्री,

वरीय पदाधिकारी एवं काफी संख्या में स्थानीय पर्यटक भाग लेंगे। स्थानीय पर्यटक गाँधी घाट से देशी नाव के माध्यम से भी काफी संख्या में सबलपुर दिया जाते हैं। देशी नाव पर ओवरलोडिंग के नियंत्रण एवं आपदा प्रबंधन हेतु उचित कार्रवाई की आवश्यकता है। पूर्व वर्ष की भाँति इस अवसर पर दिनांक 14.01.2017 से 17.01.2017 तक गाँधी घाट, पटना एवं सबलपुर दिया पर सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन की आवश्यक व्यवस्था की जाय। परन्तु, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के उक्त निदेशों के संबंध में जिला पदाधिकारी, सारण की हैसियत से उनके द्वारा आवश्यक कार्रवाई नहीं की गयी। यहाँ तक कि कार्यक्रम के दिन वे सबलपुर दिया भी नहीं गये।

4. जाँच प्रतिवेदन से अनुशासनिक प्राधिकार के उक्त असहमति के निर्णय के आलोक में अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-9(2) में निहित प्रावधान के आलोक में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति एवं इससे अनुशासनिक प्राधिकार के असहमति के बिंदुओं के साथ विभागीय पत्रांक-15958 दिनांक 14.12.2017 द्वारा श्री आनन्द को उपलब्ध कराते हुए लिखित बचाव अभ्यावेदन समर्पित किये जाने का निदेश दिया गया।

5. उक्त संबंध में श्री दीपक आनन्द के दिनांक 26.02.2018 के बचाव अभ्यावेदन पर सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा श्री आनन्द के बचाव अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय पत्रा संख्या-14018 दिनांक 23.10.2018 द्वारा संघ लोक सेवा आयोग से आवश्यक परामर्श उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया।

6. मामले में संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 14.02.2020 का परामर्श समर्पित किया गया। आयोग ने इसमें आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध कई आरोपों को प्रमाणित पाते हुए श्री दीपक आनन्द पर 'परिनिंदा' (Censure) का दंड अधिरोपित किये जाने का परामर्श दिया गया। आयोग के इस परामर्श के विचारोपरांत विभागीय पत्रा संख्या-4180 दिनांक 03.04.2020 आयोग के परामर्श की प्रति श्री आनन्द को उपलब्ध कराते हुए लिखित बचाव अभ्यावेदन समर्पित किये जाने का निदेश दिया गया।

7. उपर्युक्त के संबंध में श्री दीपक आनन्द के द्वारा समर्पित दिनांक 07.04.2020 के लिखित बचाव अभ्यावेदन पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत इसे अस्वीकृत करते हुए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परामर्शित 'परिनिंदा' (Censure) का दंड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

8. राज्य सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में इस मामले में श्री दीपक आनन्द, भा.प्र.से.(बिहार:2007), तत्कालीन जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा को 'परिनिंदा' (Censure) का दंड अधिरोपित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

The 24th August 2020

No. 4/Kri.Shi.Ko.-25/2020-2537---In reference to the letter dated August 06, 2020 from Dr. Purvi Mehta, Head-Asia, Agricultural Development, Bill & Milinda Gates Foundation and in order to further strengthen collaborative projects between Agriculture Department, Bihar and BMGF, a Steering Committee is constituted as below to monitor and to give guidance to Agriculture Data Information Dashboard as a Service (ADIDAAS) and all other projects implemented in joint collaboration between Department of Agriculture and BMGF for development of Agriculture in Bihar.

S.No.	Name/Designation	Post
1	Secretary, Agriculture Department, Bihar	Chairperson
2	Dr. Purvi Mehta, Head-Asia, Agricultural Development, Bill & Milinda Gates Foundation	Co-Chairperson
3	Director Agriculture, Bihar	Member
4	Director Horticulture, Bihar	Member
5	Director Soil Conservation, Bihar	Member

6	Director, BAVAS	Member
7	Dr. Srivalli Krishnan, Senior Programme Officer, BMGF	Member
8	Joint Secretary, Agriculture-cum-senior officer I/c, DBT Cell, Agriculture Department, Bihar	Member Secretary

The Steering Committee shall meet at least once in three months and/or as & when desired by the Chairperson. The committee shall review the progress of the project and will be empowered to give guidance as it deem fit to carry out the objectives of the project.

By the order of the Governor of Bihar.
Dr. N. Saravana Kumar, Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 18-571+25-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक (अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 कारा/नि0को0(अधी0)—01—06/2018—4933

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय

गृह विभाग (कारा)

संकल्प

22 जुलाई 2020

श्री विधु कुमार, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ सम्प्रति अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, मोतिहारी के विरुद्ध उनके केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ में पदस्थापन के दौरान बंदी रॉकी सिंह उर्फ राकेश कुमार सिंह, पे0—रमेश कुमार सिंह के समुचित इलाज के अभाव में दिनांक 14.07.2018 को मृत्यु की घटना में बरती गई लापरवाही के प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5523 दिनांक 03.08.2018 द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबनावस्था में उन्हें केन्द्रीय कारा, बक्सर में संलग्न किया गया। साथ ही उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 10 दिनांक 02.01.2019 द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता, विभागीय जॉच, समाहरणालय, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही के फलाफल के पश्चात् प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श प्राप्त कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9467 दिनांक 06.11.2019 द्वारा “ **संचयात्मक प्रभाव से चार (04) वेतन वृद्धियाँ अवरुद्ध करने का दंड** ” अधिरोपित करते हुए श्री कुमार को निलंबन से मुक्त किया गया।

3. श्री कुमार दिनांक 03.08.2018 से 05.11.2019 तक निलंबित रहे। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार को निलंबन अवधि में देय जीवन यापन भत्ता के बिन्दु पर निर्णय लिये जाने हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-11 (5) के विहित प्रावधान के आलोक में विभागीय ज्ञापांक 1397 दिनांक 17.02.2020 द्वारा उनसे साठ दिनों के अन्दर अभ्यावेदन की मांग की गयी।

4. श्री कुमार का अभ्यावेदन उनके पत्रांक 2022 दिनांक 14.06.2020 के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसमें उनका कहना है कि जैसे ही दिनांक 11.07.2018 को सूचना मिली कि एक बंदी की तबियत खराब है, उसी दिन उनके द्वारा कारा का रात्रि परिभ्रमण किया। इसके साथ ही दिनांक 12.07.2018 को दिन में कारा अस्पताल का भी भ्रमण किया, ये दोनों तथ्य संचालन पदाधिकारी द्वारा स्वयं अपने मंतव्य में स्वीकार किया गया है तथा “ जिसकी पुष्टि गेट रजिस्टर से भी होती है ”, किन्तु संचालन पदाधिकारी ने इन दस्तावेजों का अंकन करने के बाद भी इनका संज्ञान नहीं लिया। Health Screening में चिकित्सक के द्वारा बंदी को Chronic Alcoholic होने के बावजूद बाहर इलाज के लिए रेफर नहीं किया गया। बंदी को चिकित्सकों के द्वारा ही थोड़े समय के लिए हथकड़ी लगाई गई थी, ताकि उसे दवा दी जा सके और वह अपने को नुकसान न पहुँचा सके। इस आधार पर श्री कुमार इस मामले में निर्दोष होने का दावा करते हैं।

5. श्री कुमार के अभ्यावेदन की समीक्षा की गई। श्री कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में कोई नई बात नहीं की गई है बल्कि उन्हीं बातों को पुनः उद्धृत किया गया है जिसे उन्होंने पूर्व में अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में कहा था। उनका यह बचाव कथन सम्यक् विचारोपरान्त संकल्प ज्ञापांक 9467 दिनांक 06.11.2019 में अंकित मुखर एवं सकारण आदेश द्वारा पहले ही अस्वीकृत किया जा चुका है।

श्री कुमार के विरुद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श प्राप्त कर विधिवत् प्रक्रिया का पालन करते हुए दण्ड अधिरोपित किया गया है। श्री कुमार के विरुद्ध कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने, बंदी के साथ अमानवीय व्यवहार करने, उसका ठीक से इलाज नहीं कराने आदि के गंभीर आरोप प्रमाणित पाये गये हैं। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त कर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार को “संचयात्मक प्रभाव से चार वेतन वृद्धियाँ अवरुद्ध करने का

दण्ड" अधिरोपित किया जा चुका है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री कुमार का निलम्बन औचित्यपूर्ण है। अतः उनका अभ्यावेदन अस्वीकृत किया जाता है।

6. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री विधु कुमार, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ सम्प्रति अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, मोतिहारी के निलम्बन अवधि दिनांक-03.08.2018 से 05.11.2019 तक के संबंध में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-11 के उप नियम-7 एवं 8 के आलोक में निम्न आदेश पारित किया जाता है :-

"निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा परन्तु इस अवधि की गणना पेंशन प्रदायी सेवा के रूप में की जायेगी।"

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

सं० कारा/नि०को०(अधी०)-01-40/2019-4879

संकल्प

20 जुलाई 2020

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि दिनांक 21.08.2019 को मंडल कारा, छपरा में संसीमित बंदी आनन्द शंकर का जन्म दिन मनाते एवं केक काटते हुए इन्स्टाग्राम पर वीडियो वायरल होने की घटना में श्री मनोज कुमार सिन्हा, अधीक्षक, मंडल कारा, छपरा द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है। श्री सिन्हा का यह कृत्य बिहार कारा हस्तक, 2012 एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री मनोज कुमार सिन्हा, अधीक्षक, मंडल कारा, छपरा के विरुद्ध संलग्न प्रपत्र 'क' में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 (2) के तहत आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को संचालन पदाधिकारी तथा अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, मोतिहारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री सिन्हा से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

5. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 18-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>